सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29/2014 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान) A9 7

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियाँ, आर0ए0एस0

विविध प्रार्थना पत्र सं0 29/14

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज आई0डी0 नं0 0716279856449

1. निरन्जन दास पुत्र श्री चरणदास
2. जोगेन्द्रपाल पुत्र श्री परसाराम

अकवाम गुर्जर सकनाए 31 जी बी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

राजस्थान सरकार

उपस्थित : प्रार्थीगण स्वंय उपस्थित।
राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0

आदेश दिनांक : 27-12-16

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में सीलिंग अपील सं0 8091/2001 अनवानी निरजन्न दास वगैरा बनाम सरकार दायर की थी। अपील में स्थगन आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में जारी हुआ था। स्थगन आदेश की पालना में प्रार्थीगण ने वर्ष 2001से लेकर 2013 तक अमानत राशि के रूप में पॉच सौ रूपये प्रति बीघा, प्रति फसल के हिसाब से छः माही के 6100–00 रूप्ये के हिसाब से जमा करवाते रहे थे। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपील सीलिंग का फैसला प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 9–12–13 को कर दिया है। अतः माननीय मण्डल के आदेश की पालना में प्रार्थीगण की जमा शुदा राशि को रिफण्ड किया जावे तथा चक 29 जी बी (बी) के मु0 नं0 9 के कि0 नं0 1/00.04, कि0 नं0 2 ता 7, 14 ता 17, 24–25 कुल 12 बीघा 04 बिस्वा भूमि को राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम से दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। स्टेट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए । तहसील श्री विजयनगर व विधि प्रकोष्ठ से रिपोर्ट तलब की गई। मूल रेकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय उनके पक्ष में हो चुका है। सरकार ने भी मा0 मण्डल के निर्णय के खिलाफ अपील नहीं करने का निर्णय लिया है। अतः मा0 मण्डल का निर्णय अंतिम हो जाने के कारण मा0 मण्डल के निर्णय की पालना में जमा शुदा अमानत राशि व सीलिंग प्रकरण में उनकी अधिग्रहित की गई 12 बीघा 04 बिस्वा भूमि का कब्जा जो बहक सरकार लिया गया था, को वापिस करते हुए

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के नाम से दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा सीलिंग अपील का निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में हो चुका है तथा शासन द्वारा विधिक परीक्षण के उपरांत आगे अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में मा0 राजस्व मण्डल का निर्णय अंतिम हो चुका है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि राजस्थान सरकार द्वारा असैसी भूमिधारी डोगर दास के विरूद्व पुराने सीलिंग कानून की धारा 15(2) राज0 कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 3–4–79 को प्रकरण खोला गया था, जो क्रम सं0 54/79 पर दर्ज हुआ था। इसी प्रकार असैसी भूमिधारी डोगर दास के विरूद्व नये सीलिंग कानून की धारा 15(1) राज0 कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 16–4–82 को प्रकरण खोला गया था, जो क्रम सं0 1/82 पर दर्ज हुआ था। बाद विधिवत् सुनवाई दोनों सीलिंग प्रकरणों का एक ही आदेश से दिनांक 22–11–01 को इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर 19 बीघा 7 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहण के आदेश दिये गये थे।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22–11–01 के विरूद्व कुल तीन सीलिंग अपीलें मा0 राजस्व मण्डल अजमेर में दर्ज हुई। प्रथम सीलिंग अपील भूमिधारी डोगरदास के वारिसान द्वारा मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर में सीलिंग अपील सं0 8090/01 दायर की गई। द्वितीय सीलिंग अपील सं0 8091/01 भूमि खरीददारान प्रार्थीगण निरन्जनदास व जोगेन्द्रपाल द्वारा की गई है। तृतीय सीलिंग अपील 184/02 भूमिधारी डोगरदास के पोते हरीशचन्द व एक अन्य पक्षकार कुलदीपसिंह द्वारा की गई है।

माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उपरोक्त तीनों सीलिंग अपीलों का एक ही आदेश से दिनांक 9–12–13 को निर्णय पारित किया गया है। मा0 मण्डल के निर्णयानुसार अपील सं0 8090/01 स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.11.01 पुराने सीलिंग कानून बाबत निरस्त कर दिया गया है एवं असैसी के विरूद्व सीलिंग कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। अपील सं0 8091/01 तथा 184/02 भी इसी अनुरूप निस्तारित की गई हैं।

माननीय मण्डल से निर्णय के उपरांत सीलिंग अभिलेख प्राप्त होने पर पत्रावली विधिक परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाई गई। विधि प्रकोष्ठ ने अपने पत्र क्रमांक एफ 16(5)( )फौज/विप्र/2016/2650 दिनांक 13–7–16 द्वारा अवगत कराया है कि निर्णय दिनांक 22–11–01 के विरूद्व मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 9–12–13 के संबंध में सीलिंग विभाग से विधि परीक्षण के उपरांत अपील योग्य पर्याप्त आधार न होने पर मूल अभिलेख वापिस लौटा दिया गया है। उक्त पत्र शासन के पत्र क्रमांक राजस्व (ग्रपु–8) विभाग क्रमांक प.8(18)राज/ग्रुप–8/2014 जयपुर दिनांक 24–6–16 की पालना में जारी किया गया है। शासन के पत्र दिनांक 24–6–16 के अनुसार मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–12–13 पर जिला कलक्टर एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा दी गई राय से सहमति व्यक्त करते हुए अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार सीलिंग विभाग

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

द्वारा मा0 मण्डल के निर्णय के विरूद्व अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया, जिससे मा0 मण्डल का निर्णय दिनांक 9–12–13 अंतिम हो गया है।

जहाँ तक प्रार्थीगण द्वारा मा0 राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश की पालना में अमानत राशि जमा कराये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में तहसीलदार, श्री विजयनगर ने अपने पत्र क्रमांक 648 दिनांक 6–10–16 द्वारा अवगत कराया है कि मा0 राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश से प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2001 से वर्ष 2013 तक अमानत राशि के रूप में सीलिंग में अधिग्रहण भूमि 19 बीघा 7 बिस्वा की पॉच सौ रूपये प्रति बीघा की दर से राशि कार्यालय रिकोर्ड में निरन्जन सिंह पुत्र श्री चरण सिंह सा0 31 जी बी वर्ष 2001 से 2013 तक 74400–00 रूपये एवं श्री जोगेन्द्रपाल पुत्र परसराम गुर्जर 31 जी बी वर्ष 2001 से 2013 तक 72000–00 रूपये जमा हुए हैं।

सीलिंग में अधिग्रहित भूमि के संबंध में तहसीलदार, श्री विजयनगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 674 दिनांक 18–10–16 के साथ पटवारी की रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की है। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक रेकार्ड चक 28 जी बी (बी) प0 सं0 174/424 कि0 नं0 18 ता 24 का 1.771 है0 प0 नं0 175/425 का कि0 नं0 1/1 का .0512 ता 7,14 ता 17,24,25 का 3.036 है0 कुल 3.087 है0 व प0 नं0 172/429 कि0 नं0 12/1 का 0.0038 है0 कुल 4.896 है0 (19.07 बीघा) रकबा रिकार्ड में रकबाराज दर्ज है। उक्त रकबा निर्णय दिनांक 22–11–01 की पालना में रकबा सीलिंग में अधिग्रहण किया गया था। उक्त रकबा पर माननीय राजस्व मण्डल का स्थगन था, **जिसमें से प0 नं0 175/425 के 3.087 है0 रकबा पर जमानती स्थगन था** । माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 22–11–01 को निरस्त कर दिया गया है। उक्त रकबा पर वर्तमान में मुताबिक रिकार्ड किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है।

मौका पर प0नं0 174/424 के 1.771 है0 रकबा पर कुलदीपसिंह पुत्र हरपालसिंह कौम कम्बोसिख सा0 देह व प0 नं0 175/425 के कि0 नं.0 1/1 का .0512 ता 7 कुल 1.569 है0 रकबा पर निरन्जन दास पुत्र चरणदास कौम गुजर सा0 31 जी बी एवं कि0 नं0 14 ता 17,24,25 का कुल 1.518 है0 पर जोगेन्द्रपाल पुत्र परसराम कौम गुजर 31 जी बी का कब्जा काश्त है। प0नं0 172/429 का 0.38 है0 रकबा खाली है।

विधि अनुभाग, कलक्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक एफ 16(5)( ) फौज/विप्र/2016/2650 दिनांक 13–7–16 द्वारा अवगत कराया है कि निर्णय दिनांक 22–11–01 के विरूद्व मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 9–12–13 के संबंध में सीलिंग विभाग से विधि परीक्षण के उपरांत अपील योग्य पर्याप्त आधार न होने पर मूल अभिलेख वापिस लौटा दिया गया। उक्त पत्र शासन के पत्र क्रमांक राजस्व (ग्रपु–8) विभाग क्रमांक प. 8(18)राज/ग्रुप–8/2014 जयपुर दिनांक 24–6–16 की पालना में जारी किया गया है। शासन के पत्र दिनांक 24–6–16 के अनुसार मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–12–13 पर जिला कलक्टर एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा दी गई राय से सहमति व्यक्त करते हुए अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार सीलिंग विभाग द्वारा मा0 मण्डल के निर्णय के विरूद्व अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया जिससे मा0 मण्डल का निर्णय दिनांक 9–12–13 अंतिम हो गया है।

इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर का निर्णय दिनांक 9–12–13 द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 22–11–01 निरस्त कर दिया गया है तथा शासन के पत्र क्रमांक राजस्व (ग्रपु–8) विभाग क्रमांक प.

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

8(18)राज/ग्रुप–8/2014 जयपुर दिनांक 24–6–16 के अनुसार मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–12–13 पर जिला कलक्टर एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा दी गई राय से सहमति व्यक्त करते हुए अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार सीलिंग विभाग द्वारा मा0 मण्डल के निर्णय के विरूद्व अपील नहीं करने का निर्णय लिये जाने के कारण प्रार्थीगण निरन्जनदास व जोगेन्द्रपाल का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, प्रार्थीगण निरन्जनदास व जोगेन्द्रपाल का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा चक 28 जी बी के प0 नं0 175/425 के कि0 नं.0 1/1 का .0512 ता 7 कुल 1.569 है0 रकबा निरन्जन दास पुत्र चरणदास कौम गुजर सा0 31 जी बी को व कि0 नं0 14 ता 17,24,25 का कुल 1.518 है0 जोगेन्द्रपाल पुत्र परसराम कौम गुजर 31 जी बी को सीलिंग में अधिग्रहित की गई भूमि का कब्जा वापिस प्रार्थीगण निरन्जनदास व जोगेन्द्रपाल को लौटाये जाने एवं राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के नाम से प्रविष्टि किये जाने तथा जमा शुदा अमानत राशि निरन्जन दास पुत्र श्री चरण दास सा0 31 जी बी को वर्ष 2001 से 2013 तक 74400–00 रूपये तथा श्री जोगेन्द्रपाल पुत्र परसराम गुर्जर 31 जी बी को वर्ष 2001 से 2013 तक 72000–00 रूपये नियमानुसार वापिस लौटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, श्री विजयनगर को एवं प्रार्थीगण को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 27–12–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/12/16
(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)